एक नजर में

दस वर्ष से निष्क्रिय डीईएएफ खातों की होगी त्वरित केवाईसी

नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा अपनी पूंजी अपना अधिकार के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन अनुसार 10 वर्ष से अधिक समय से गैर-लेनदेन वाले डी.ई.ए.एफ. (डिपोसिट एजुकेशन एण्ड अवेयरनैस फंड) बैंक खातों में जमा राशि को विभागीय मदों में पुन: जमा कराने के लिए आवश्यक केवाईसी प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एलडीएम) को निर्देशित किया कि सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को केवाईसी हेतु पत्र प्रेषित किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक विभाग प्रमुख 10 दिवस के भीतर आवश्यक केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कर इसकी जानकारी जिला कार्यालय एवं एलडीएम को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। साथ ही, कलेक्टर सुश्री मीना ने एलडीएम को आगामी एक सप्ताह के भीतर यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए कि अब तक कितने अधिकारियों द्वारा केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि डी.ई.एफ. खातों में अटकी विभागीय राशि की वापसी प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरा किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री हिमांशु जैन, एलडीएम श्री आर.डी. वाघेला सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

एसआईआर को लेकर बैठक हुई

पिपरिया -एसआईआर को लेकर जनपद पंचायत कार्यालय में विभिन्न दलो के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई। एसआईआर को लेकर जनपद पंचायत बीसी रूम मे एसडीएम आकिप खान की उपस्थिति में आयोजित बैठक में पिपरिया विधानसभा में सूक्ष्म गहन पुनरीक्षण कार्य की जानकारी ली गई एवं बताया गया कि यह प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। बैठक में जानकारी दी गई कि एएसडी में जिन मतदाताओं के नाम चले गये है उन्हे आप सभी भी देख ले उनमें यदि कोई मौजूद है.

अवैध व्यवसायिक उपयोग और निर्माण की जांच शुरू

अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई से मिली छूट, पट्टेदार ने बिना पूर्व अनुमति के प्रथम मंजिल का किया निर्माण

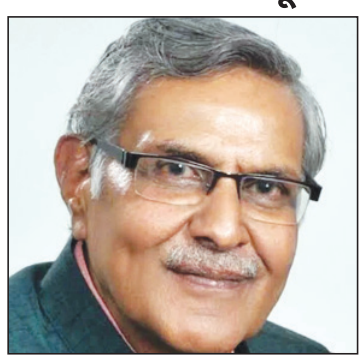

नवभारत न्यूज

इटारसी, 04 दिसम्बर मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नर्मदापुरम जिले से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठे। विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों के जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने जिले की प्रशासनिक और शैक्षणिक स्थिति का ब्यौरा सदन के सामने रखा।

नजूल पट्टे की शर्तों का उल्लंघन, जांच जारी- राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सदन को बताया कि नर्मदापुरम में एक पट्टेदार (लेसी) द्वारा सरकारी नजूल भूमि की लीज की शर्तों का कथित उल्लंघन किया गया है। पट्टे की शर्तों के विपरीत, जमीन का उपयोग व्यावसायिक (व्यापार/कारोबार) उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। पट्टेदार ने बिना पूर्व अनुमति के प्रथम मंजिल का निर्माण किया और दुकान के लिए रोड पर सीढियां बनाईं। पट्टे की शर्त 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रों में उप-विभाजन नहीं का कथित तौर पर उल्लंघन किया गया है। मंत्री ने जानकारी दी कि इन शिकायतों की जांच के लिए नजूल अधिकारी के न्यायालय में राजस्व प्रकरण दर्ज कर लिया है। यह भी स्पष्ट किया कि पट्टे की शर्तों के उल्लंघन को क्षमा करने का अधिकार कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत अपर कलेक्टर को है।

फर्जी पट्टों का मामला उच्च न्यायालय में - ग्राम सोनासांवरी में वर्ष 2017 में फर्जी पट्टों के कथित आवंटन का मुद्दा भी विधानसभा में उठा। राजस्व मंत्री ने स्वीकार किया कि तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने पति के नाम से पट्टे का आवंटन किया गया था। इस मामले में वर्तमान में अपर कलेक्टर न्यायालय में निगरानी प्रचलित है, जबकि भूमि को आबादी घोषित करने के विरुद्ध एक रिट याचिका उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

अतिक्रमण और सीएम हेल्पलाईन शिकायतें - नगर में अतिक्रमण की शिकायतों पर राजस्व मंत्री ने बताया कि पुरानी तहसीली के पास दो मंजिला दुकान निर्माण, नारायण नगर में मार्ग बंद करने और अन्य अतिक्रमणों के संबंध में जांच चल रही है। सीमांकन के आदेश दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी नहीं हुई है, और प्रशासनिक स्टाफ की विधानसभा निर्वाचन कार्य में व्यस्तता के कारण समय-सीमा में बदलाव संभव है।

अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीई से छूट स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने नर्मदापुरम जिले में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्रवेश पर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि जिले में अल्पसंख्यक अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों की संख्या शून्य है, जबकि गैर-अनुदान प्राप्त संस्थान 11 हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश देने की बाध्यता से मुक्त रखा है।

समाज में अधिवक्ताओं का होना बहुत आवश्यक सिवनी मालवा सिवनी मालवा सजग युवा मंडल के द्वारा स्थानीय न्यायालय परिसर में अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन मंडल संरक्षक सदस्य ईश्वरदास जमींदार के नेतृत्व में किया गया जिसमें न्यायालय मैं उपस्थित सभी अधिवक्ताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने कहा कि देश हित सामाजिक एवं न्याय के लिए पीड़ित व्यक्ति की सदैव मदद करेंगे। उन्होंने सजग युवा मंडल द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सजग युवा मंडल के हर अच्छे कार्य में हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। मंडल के सदस्य ईश्वरदास जमींदार ने कहा कि 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है यह अधिवक्ता दिवस भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं संविधान सभा के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद जी की याद में मनाया जाता है। आज समाज में अधिवक्ताओं का होना बहुत आवश्यक है न्याय के लिए पीडित व्यक्ति जब सब जगह से हार जाता है तब वह अधिवक्ता के पास जाता है

चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त को छह माह का साधारण कारावास

नवभारत न्यूज

हरदा, 04 दिसम्बर भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा हरदा जिला हरदा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शिव विलास सराफ ने बताया कि, अभियुक्त सूरज बिश्नोई पिता नारायण बिश्नोई निवासी ग्राम धनगाँव ने शासकीय योजना शासकीय योजना एग्रीकल्चर टर्म लोन के अंतर्गत कस्टम हाईरिंग हेतु रूपए 18,75,000/- (अठारह लाख पिचहत्तर हजार रूपए) का ऋण प्राप्त किया था। ऋण खाते में कुल रूपए 17,21,242/- (सत्रह लाख इक्कीस हजार दो सौ बयालीस रूपए) बाकी एवं 4,05,059/- (चार लाख पांच हजार उनसठ रूपए) अतिदेय एवं व्याज भी बकाया हो गया था। जिसके लिए बैंक द्वारा कई बार तकादे किये गए जब बैंक द्वारा न्यायालय के माध्यम से कार्यवाही करने को कहा गया तो आरोपी ने ऋण राशि का भुगतान नगदी न करते हुए अपने बचत खाता का चैक भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा हरदा के नाम से अपने ऋण खाते में जमा करने हेतु हस्ताक्षर युक्त प्रदान किया जो खाते में निधि पर्याप्त न होना के कारण बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया जिसके बाद बैंक द्वारा सक्षम न्यायालय में परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत कार्यवाही की गई जिसमे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी माननीय प्रेमदीप शाह साहब द्वारा प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना के बाद अभियुक्त को चेक बाउंस के अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया जिसके लिए अभियुक्त को छ: माह का साधारण कारावास एवं चेक की राशि रूपए 4,05,059/- पर निर्णय दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज राशि रूपए 1,77,398/- अतिरिक्त प्रतिकर स्वरूप परिवादी बैंक भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा हरदा जिला हरदा को भुगतान करने के आदेश प्रदान किये।

जिकां कमेटी ने की डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग

नवभारत न्यूज

इटारसी, 04 दिसम्बर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक बार फिर भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को इटारसी शहर के प्रमुख चौराहे पर स्थापित करने की मांग नगर प्रशासन से की है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि बार-बार मांग करने के बावजूद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और किसी अज्ञात दबाव में काम कर रहा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडेय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित और शोषित वर्ग के साथ खड़ी रही है और उनकी मांगों का समर्थन करती है। उन्होंने प्रश्न उठाया कि इटारसी में डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा क्यों नहीं लगाई जा रही है। पांडेय ने प्रशासन से विनम्र निवेदन करते हुए कहा है कि वह शीघ्र ही प्रतिमा लगाने की प्रक्रिया शुरू करे। यदि प्रशासन प्रतिमा स्थापित करने में समर्थ नहीं है, तो कांग्रेस जनों को इसकी अनुमति प्रदान करे और एक उचित स्थान उपलब्ध कराए। कांग्रेस पार्टी दलित एवं शोषित वर्ग के साथ मिलकर अपने खर्च पर यह प्रतिमा स्थापित करेगी। यह जानकारी जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अनिल रैकवार ने दी ।

अमानक पाई गई औषधियों पर लगाया प्रतिबंध

नर्मदापुरम. औषधि नियंत्रक एवं संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल के अनुसार, कई आयुर्वेदिक औषधियों के नमूनों को ग्वालियर स्थित शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा गया था। परीक्षण में 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट,1940' की धारा 33 के तहत ये औषधियां अमानक पाई गईं। अमानक पाए गए उत्पादों में कफ कुठार रस एवं लक्ष्मी विलास रस (नारदीय) निर्माण शाला डाबर इंडिया लि. साहिबाबाद उ.प्र.शामिल है.

कलेक्टर ने विभागीय प्रस्तावों पर दी आवश्यक सहमति

नवभारत न्यूज

नर्मदापुरम/04,दिसम्बर कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना की अध्यक्षता में गुरुवार को सीएसआर प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर कलेक्टर ने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए आवश्यक प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की। बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न विद्यालयों में मरम्मत, शौचालय निर्माण, पेयजल व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के लिए तैयार प्रस्तावों का कलेक्टर ने अवलोकन किया। उन्होंने आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सहमति प्रदान की गई। इसी प्रकार खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी ने खेल उपकरण, खेल मैदानों पर आवश्यक व्यवस्थाएं और अन्य सुविधाओं से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। बैठक में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिला चिकित्सालय के लिए आवश्यक उपकरणों का प्रस्ताव रखा, वहीं उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं द्वारा संभागीय पशु चिकित्सालय में पशुओं की जांच के लिए आवश्यक उपकरणों की मांग से संबंधित प्रस्ताव कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए गए। सभी प्रस्तावों पर कलेक्टर ने विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर सहमति प्रदान की।

विधिक साक्षरता शिविर में छात्रों को दी महत्वपूर्ण जानकारी

नवभारत न्यूज

पिपरिया सर्वोदय विद्यापीठ हायर सैकेंडरी स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। न्यायायिक मजिस्ट्रेड प्रथम श्रेणी दिशा चांडक ने विधिक साक्षरता शिविर के अवसर पर छात्र छात्राओं को पाक्सो एक्ट,जुवीनल एक्ट की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही साथ संविधान पर भी बच्चों से संवाद किया। राइट टू एजुकेशन तथा मिड डे मील पर भी अपनी बात रखी साथ ही आधुनिक समय में मोबाइल के बढते प्रचलन पर तकनीक संबंधी सुरक्षा उपायो पर कानून संवत प्रक्रिया को सरल तरीके से समझाया।

आपने समझाईश देते हुए कहा कि किसी भी मोबाइल पर अचानक आई हुई किसी भी प्रकार की लिंक को न खोले इससे आपके मोबाइल की सुरक्षा संबंधित नियम प्रभावित हो सकते है। यहां तक की आपका मोबाइल हैक भी हो सकता है। आपने बेड टच,गुड टच के बारे मे भी नजदीक से समझाया। सडक पर होने वाली घटना कोई पीछा कर रहा है या स्कूल में कोई तंग कर रहा है तो उसकी जानकारी परिवार में सांझा करने की बात कही। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष आनंद प्रकाश शर्मा ने छात्राओं को कानून संबंधी मोटिवेट किया।

विधिक साक्षरता शिविर में अजय मिश्रा,प्रधानाचार्य अंजू जाटव,प्राचार्य भगवती प्रसाद तिवारी, प्रभारी प्राचार्य आशीष स्वामी, आफीस रीडर अनिता बाथरे, शिक्षिका मंजू लता स्वामी, वेद प्रकाश व्यास,मुकेश पुरोहित, शशि मालवीय,पिंकी पटेल,खेल कोच आशीष प्रजापति,पप्पू आम्रवंशी आदि उपस्थित रहे।

रेल परामर्शदात्री समिति सदस्य बनीं ललिता पुर्विया

पिपरिया समाजसेवी व सक्रिय जनप्रतिनिधि ललिता पुर्विया को पश्चिम मध्य रेल जबलपुर की क्षेत्रीय रेल्व उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। उपमहाप्रबंधक क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदाता समिति मनीष कुमार पटेल ने 30 सितंबर 2026 तक 2 वर्ष की अवधि के लिये क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति पश्चिममध्य रेल जबलपुर का गठन किया है जिसमें समाज सेवी ललिता पुर्विया को सदस्य बनाया गया है।

ग्राम हंडिया को नाभिलोक घोषित कर विकसित करने की मांग

नवभारत न्यूज

हरदा, 04 दिसम्बर हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में शून्यकाल सूचना के माध्यम से हरदा जिला अंतर्गत मां नर्मदा के तट पर स्थित ग्राम हंडिया को नाभिलोक घोषित कर विकसित करने की मांग सरकार से की गई।

हरदा विधायक डॉ. दोगने द्वारा विधानसभा सदन में मांग करते हुए अपने वक्तव्य में कहा गया कि हरदा जिला अंतर्गत माँ नर्मदा के तट पर स्थित ग्राम हंडिया प्राचिन व ऐतिहासिक नगरी है। जो कि हरदा-इंदौर फोरलेन सड़क मार्ग पर स्थित है और इंदौर से हंडिया

की दूरी लगभग 125 कि.मी. है। हंडिया में माँ नर्मदा का नाभीकुंड, कुबेर द्वारा स्थापित भगवान भोलेनाथ का प्राचीन रिद्धेश्वर मंदिर, जोगा का किला, तेली की सराय, मुल्ला दो प्याजा की मजार एवं सिक्ख धर्म के गुरू गोविन्द सिंह जी द्वारा हस्तलिखित सनद भी यही है और इसके दूसरे छोर पर स्थित नेमावर में पांडवों द्वारा स्थापित किया गया भगवान भोलनाथ का सिद्धेश्वर मंदिर स्थित है। यहाँ पर दर्शन करने व घूमने के लिए भारत के समस्त राज्यों एवं विदेशों से लोग आते हैं। यदि हंडिया को माँ नर्मदा का नाभीलोक घोषित कर विसित किया जाता है तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सरकार को भी राजस्व में अधिक लाभ होगा। इस हेतु मेरा सरकार से अनुरोध है की हरदा जिला अंतर्गत मां नर्मदा के तट पर स्थित ग्राम हंडिया को नाभिलोक घोषित कर विकसित कराए जाने का कष्ट करें।

न्यायालय नजूल अधिकारी इटारसी

इश्तहार /प्रेस विज्ञप्ति

रा0प्र0क्र0 0054 अ-20(3) वर्ष 2025-20

आम जनता को इस इश्तहार प्रेस मुनादी के जरिये सूचित किया जाता है आवेदगण श्रीमति हरवीर कौर पत्नि चरणजीत सिंह बिंद्रा एवं अन्य-04 निवासी गांधी नगर इटारसी तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम ने इस आश्य का आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 109,110 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि नगर नजूल शहर इटारसी की नजूल शीट नं0 14 प्लाट नं 79/5 रकबा 380 वर्गफुट जो नजूल अभिलेख में आवेदकगणों सहित चरणजीत सिंह बिंद्रा आ0 ईश्वर सिंह बिंद्रा के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज है। आवेदकगण के पूर्वाधिकारी चरणजीत सिंह बिंद्रा का स्वर्गवास दिनांक 26/09/2020 को गया है। अत: आवेदकगणों द्वारा उक्त वर्णित संपत्ति पर से चरणजीत सिंह बिंद्रा का नाम फौती आधार पर विलोपित कर अन्य सभी नाम यथावत रखे जाने का अनुरोध किया है। आवेदक के उक्त आवेदन पर जनसामान्य को कोई आपत्ति या कोई दावा प्रस्तुत करना हो तो वह प्रकरण की सुनवाई दिनांक 16/12/2025 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय नजूल अधिकारी इटारसी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समय अवधि में दावा या आपत्ति पेश न होने की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया जावेगा।

नोट- नियत तिथि को अवकाश घोषित होने की दशा में प्रकरण की कार्यवाही आगामी कार्य दिवस में होगी.

नजूल अधिकारी, इटारसी

संक्षिप्त समाचार

स्कूली छात्रा को जान से मारने की धमकी को लेकर एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा

पिपरिया -खैरीकला के ग्रामीणो ने एक स्कूली छात्रा को परेशान करने व जानसे मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ एसडीएम के नाम ज्ञापन सौप कार्रवाही की मांग की है। एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार नीरज बैस को सौपे ज्ञापन में ग्रामीणो ने बताया कि स्कूल में पढने वाले बच्ची को परेशान करने पर स्टेशन रोड थाने में शिकायत होने के बाद आरोपी को पकड़ न्यायालय पेश किया गया था। जिसे जेल भेजा व बाद में रिहा हो गया। उक्त आरोपी द्वारा परिजनो को धमकी दी जा रही है रिपोर्ट उठाने का दबाव बनाया गया। ग्रामीणो ने कार्रवाही की मांग की।

नीलकंठेश्वर महादेव समिति ने किरायेदारों के सत्यापन को लेकर पुलिस को पत्र सौंपा

पिपरिया - पचमढी रोड पर एक कालोनी में नीलकंठेश्वर महादेव समिति की ओर से थाना प्रभारी को कालोनी की समस्या से अवगत कराया। नीलकंठेश्वर महादेव समिति के पदाधिकारी सदस्यों ने थाना प्रभारी को दिये आवेदन में बताया कि यह कालोनी बीजनवाडा के अंतर्गत आती है ज्यादातर मकानो में बाहर से आये हुए लोग किराये से रह रहे है जिनका किसी भी प्रकार का कोई रिकार्ड मकान मालिक के पास नही है। कालोनी वासियो ने आवेदन में निवेदन किया कि मकान मालिको को उचित समझाईश देने व मकानो में रह रहे किरायेदारो की उचित जांच की जावे।

विश्व एड्स जागरुकता सप्ताह के अंतर्गत साप्ताहिक जनजागरुकता कार्यक्रम

नर्मदापुरम मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल के तत्वावधान में जिला एड्स नियंत्रण समिति नर्मदापुरम के मार्गदर्शन में विश्व एड्स जागरूकता सप्ताह 2025 के अंतर्गत साप्ताहिक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रियांशी एजुकेशनल, कल्चरल एंड सोशल सोसायटी, नर्मदापुरम द्वारा संचालित इस पहल में व्यवधान पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव लाना तथा स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही संकल्प जैसे संदेशों को प्रमुखता दी गई। भोपाल चौराहा और नेहरू पार्क चौराहा पर आयोजित कार्यक्रम में पोस्टर, बैनर और हाथ-के-ठेले वाले विक्रेताओं के माध्यम से एचआईवी-एड्स के कारण, लक्षण और रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और तख्तियों के प्रदर्शन के माध्यम से जागरूकता का प्रसार किया। कार्यक्रम में प्रियांशी टीआई की परियोजना प्रबंधक मीनाक्षी बाथरी, ममता मंडल, सोनू गौर, आरती बेलवंशी, आशा बाथरी, दीपेश राजपूत, पियर अमर दीक्षित, ज्योति तथा एसएसके नारायण विश्वकर्मा सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पचमढ़ी अभयारण और बोरी अभयारण पारिस्थितिक संवेदी जोन

नर्मदापुरम/04,दिसम्बर,2025/ सतपुड़ा बाघ पर्यावास जिसके अंतर्गत सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण और बोरी वन्य जीव अभ्यारण है। मध्य प्रदेश की सीमा से अधिसूचित शहरी और आबादी इकालो की तरफ 100 मीटर के विस्तृत तक और बाकी तरफ दो किलोमीटर के विस्तृत तक को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण और बोरी वन्य जीव अभ्यारण पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित किया गया है। तत्संबंध में सतपुडा बाघ आरक्षित के पारिस्थितिक संवेदी जोन की आंचलिक महा योजना तैयार की गई है। जिसका सरकार के समक्ष प्राधिकरण द्वारा परीक्षण किया गया है। बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को तत्संबंध में कोई आपत्ति हो या अपनी ओर से कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कलेक्टर न्यायालय कार्यालय में लिखित रूप में जाकर दे सकते हैं।

भोजन स्वाद के लिए नहीं शरीर को चलाने करना चाहिए

नवभारत न्यूज

सिवनी मालवा 04 दिसंबर हमें यह मनुष्य भव अनंता-अनंत पुण्यवाणी से मिला है। सद् सानिध्य का मिलना भी दुर्लभ है। सद् सानिध्य से व्यक्ति की भावना, भव और सोच बदलती है। हमारी सोच पॉजिटिव बनती है और नेगेटिव सोच खत्म होती है। सोच बदलने से आभामंडल भी बदल जाता है।

उक्त बात महावीर भवन सिवनी-मालवा में आयोजित गुरु दर्शन यात्रा धर्म सभा में श्री प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब ने कही। उन्होंने कहा कि -हम भोजन करते- करते भी धर्म आराधना कर सकते हैं। भोजन करने से पहले हमें सुपात्र दान देने की भावना होनी चाहिए। भोजन ऐसा होना चाहिए जो भजन करने में सहायक हो। भोजन यतन पूर्वक करना चाहिए। भोजन स्वाद के लिए नहीं, शरीर को चलाने के लिए करना चाहिए। भावना, भव -नाशनी है।

धर्म सभा में साध्वी प्रेक्षा श्रीजी महाराज साहब ने कहा कि- हमें यह मनुष्य भव अनंता-अनंत पुण्यवाणी से मिला है। सद् सानिध्य का मिलना भी दुर्लभ है। सद् सानिध्य से व्यक्ति की भावना, भव और सोच बदलती है। हमारी सोच पॉजिटिव बनती है और नेगेटिव सोच खत्म होती है। सोच बदलने से आभामंडल भी बदल जाता है। धर्म सभा में विराजित साध्वीयों के दर्शन, प्रवचन एवं सद् सानिध्य का दर्जनों गुरुभक्तो ने धर्म लाभ प्राप्त किया। धर्म सभा संचालन संयुक्त रूप से संजय मेहर, आशीष समदड़िया ने किया। सिवनी मालवा बानापुरा नगर पंचायत अध्यक्ष रितेश रिंकू जैन ने बताया कि धर्म सभा में श्री श्वेतांबर जैन श्री संघ खिरकिया से 51, बाबई से 4, हरदा से 1, चारूवा से 1 बानापुरा से 8 कुल 65 गुरुभक्तो ने उपस्थित होकर त्याग पचखान ग्रहण कर जिनवाणी का लाभ लिया।

गीता जयंती पर हुए कार्यक्रम

पिपरिया गीता जयंती के अवसर पर 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक गीता महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शासकीय उ.मा.वि.मटकुली में कक्षा 9वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों को शिक्षिका माडवी साहू द्वारा श्रीमद गीता की छोटी पुस्तके वितरित की गई जिससे विद्यार्थी अपने पवित्र ग्रंथ से जुड सके। आपने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता में संचित ज्ञान से सार्वभौमिक जीवन में मार्गदर्शन,आत्मसाक्षात्कार,मानसिक संतुलन और शांति,तनाव तथा चिंता से मुक्ति,धर्म और कर्तव्य की शिक्षा, नैतिकता, कर्मयोग आदि के साथ जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त कर सके।

रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य ने यात्रियों की समस्या को लेकर रेलवे बोर्ड को लिखा पत्र

नवभारत न्यूज

इटारसी, 04 दिसम्बर इटारसी रेलवे स्टेशन पर दो अलग-अलग गंतव्यों की ट्रेनों पर एक ही नाम और बोर्ड के इस्तेमाल से यात्रियों, खासकर सीधे-साधे ग्रामीण यात्रियों को भारी भ्रम का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण वे अक्सर गलत ट्रेन में बैठकर अपने गंतव्य से दूर पहुंच रहे हैं। यह समस्या मुख्य रूप से विन्ध्याचल एक्सप्रेस (इटारसी-बीना-भोपाल) और इटारसी-प्रयागराज छिवकी पैसेंजर ट्रेन को लेकर है। एक ही नाम, अलग गंतव्य रेलवे द्वारा दोनों ही ट्रेनों पर विन्ध्याचल एक्सप्रेस का बोर्ड लगाया गया है।

ट्रेन 11271-11272 - इटारसी-बीना-भोपाल विन्ध्याचल एक्सप्रेस

ट्रेन 11273-11274 - इटारसी-प्रयागराज छिवकी पैसेंजर एक्सप्रेस।

संयोग से, ये दोनों ट्रेनें इटारसी स्टेशन पर लगभग आमने-सामने के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती हैं और इनके प्रस्थान के समय में भी बहुत कम अंतर है। भोपाल जाने वाली ट्रेन शाम 4=20 बजे और प्रयागराज जाने वाली ट्रेन शाम 5 =10 बजे जाती है। नाम और बोर्ड एक होने की वजह से, प्रयागराज जाने वाले यात्री गलती से भोपाल पहुंच रहे हैं और भोपाल जाने वाले यात्री प्रयागराज की ट्रेन में बैठ जा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। यात्रियों ने शिकायत की है कि यह स्थिति प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों को प्रभावित कर रही है। सलाहकार समिति ने लिया संज्ञान यात्रियों की इस गंभीर समस्या की जानकारी जब रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य निलेश श्रीवास्तव के संज्ञान में आई, तो उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई की। श्री श्रीवास्तव ने रेलवे के आला अधिकारियों से इस विषय पर तत्काल चर्चा की और स्थानीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी को भी इस समस्या से अवगत कराया। यात्रियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए, निलेश श्रीवास्तव ने सांसद चौधरी और रेलवे बोर्ड को विस्तृत पत्र लिखकर वास्तविक स्थिति की जानकारी दी और त्वरित निराकरण की मांग की है। श्री श्रीवास्तव ने कहा, यात्रियों की समस्याएं हमारे लिए प्राथमिक हैं। यदि यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो हम उन समस्याओं के निराकरण हेतु हर सम्भव प्रयास करते हैं। ट्रेनों के रूट में अंतर यह भ्रम इसलिए और भी गहरा जाता है क्योंकि दोनों ट्रेनों के रूट में शुरुआती स्टेशन (इटारसी) से लेकर जबलपुर तक समानता है। जबलपुर के बाद दोनों ट्रेनों के रूट पूरी तरह अलग हो जाते हैं। भोपाल विन्ध्याचल एक्सप्रेस (11271-11272)= जबलपुर से कटनी मुरवारा, दमोह, सागर, बीना जंक्शन होते हुए भोपाल की ओर जाती है। प्रयागराज छिवकी पैसेंजर (11273-11274) = जबलपुर से कटनी जंक्शन, मैहर, सतना, मानिकपुर होते हुए प्रयागराज छिवकी की ओर जाती है। यात्रियों ने उम्मीद जताई है कि रेलवे प्रशासन जल्द ही दोनों ट्रेनों के नाम या बोर्ड में बदलाव करेगा.

जिले में शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन, भौतिक सत्यापन के निर्देश

नवभारत न्यूज

नर्मदापुरम/04,दिसम्बर, जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (2026) का कार्य सतत प्रगति पर है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सोनिया मीना द्वारा पुनरीक्षण कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

इसी क्रम में गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने जिले में डिजिटाइजेशन का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं पूरी निर्वाचन टीम को बधाई प्रेषित की। कलेक्टर ने कहा कि जिले की इस उल्लेखनीय सफलता पर सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बीएलओ, सुपर वाइजर, सेक्टर अधिकारी एवं संपूर्ण निर्वाचन टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उन्होंने कहा कि पूरी टीम ने इस अवधि में दिन-रात कार्य करते हुए उत्कृष्ट समर्पण का परिचय दिया है, जिसके परिणामस्वरूप जिला यह उपलब्धि दर्ज करने में सफल हुआ है। उल्लेखनीय है कि जिले में यह उपलब्धि सबसे पहले 2 दिसंबर को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 138 सोहागपुर द्वारा प्राप्त की गई थी।

इसके पश्चात 3 दिसंबर को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 136 सिवनी मालवा ने द्वितीय स्थान पर डिजिटाइजेशन कार्य को 100 प्रतिशत पूर्ण किया। इसी क्रम में गुरुवार, 4 दिसंबर को शेष दोनों विधानसभा क्षेत्र—विधानसभा पिपरिया (139) एवं विधानसभा होशंगाबाद (137) ने भी शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन की उपलब्धि हासिल कर ली। बैठक के दौरान कलेक्टर सुश्री मीना ने कहा कि बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराई गई नो-मैपिंग एवं यूईएफ की संकलित जानकारी का